शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	81611.54	...	81611.54	111549.37	...	111549.37	107152.78	...	107152.78	104804.30	0.55	104804.85
वसूलियां	*-34790.03*	...	*-34790.03*	*-48100.00*	...	*-48100.00*	*-48100.00*	...	*-48100.00*	*-36000.00*	...	*-36000.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**46821.51**	**...**	**46821.51**	**63449.37**	**...**	**63449.37**	**59052.78**	**...**	**59052.78**	**68804.30**	**0.55**	**68804.85**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	28.21	...	28.21	35.00	...	35.00	37.00	...	37.00	35.46	0.55	36.01
2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2.17	...	2.17	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**30.38**	**...**	**30.38**	**38.00**	**...**	**38.00**	**40.00**	**...**	**40.00**	**38.46**	**0.55**	**39.01**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	0.80	...	0.80	5.00	...	5.00	3.80	...	3.80	...	...	...
4. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	...	...	...	3.26	...	3.26	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. राष्ट्रीय अर्थोपाय सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	251.98	...	251.98	350.00	...	350.00	300.00	...	300.00	364.00	...	364.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**252.78**	**...**	**252.78**	**358.26**	**...**	**358.26**	**303.81**	**...**	**303.81**	**364.01**	**...**	**364.01**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	6800.00	...	6800.00	7650.00	...	7650.00	7512.00	...	7512.00	8363.98	...	8363.98
7. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	3740.00	...	3740.00	4115.00	...	4115.00	4920.30	...	4920.30	5486.50	...	5486.50
8. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	319.74	...	319.74	510.00	...	510.00	405.00	...	405.00	518.50	...	518.50
9. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	52.94	...	52.94	62.00	...	62.00	...	...	...	...	...	...
10. राष्ट्रीय बाल भवन	20.04	...	20.04	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	22.38	...	22.38
11. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण	3000.00	...	3000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-3000.00	...	-3000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-स्वायत्त निकाय	**10932.72**	**...**	**10932.72**	**12359.00**	**...**	**12359.00**	**12859.30**	**...**	**12859.30**	**14391.36**	**...**	**14391.36**
अन्य												
13. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	10100.00	...	10100.00	10100.00	...	10100.00	6000.00	...	6000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-10100.00	...	-10100.00	-10100.00	...	-10100.00	-6000.00	...	-6000.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**10932.72**	**...**	**10932.72**	**12359.00**	**...**	**12359.00**	**12859.30**	**...**	**12859.30**	**14391.36**	**...**	**14391.36**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
15. समग्र शिक्षा												
15.01 समग्र शिक्षा के लिए सहायता	25060.89	...	25060.89	37383.35	...	37383.35	32151.65	...	32151.65	37453.46	...	37453.46
15.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- समग्र शिक्षा	*25060.89*	*...*	*25060.89*	*37383.36*	*...*	*37383.36*	*32151.66*	*...*	*32151.66*	*37453.47*	*...*	*37453.47*
राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
16. राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	10230.98	...	10230.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	...	...	...	10233.75	...	10233.75	12800.00	...	12800.00	11600.00	...	11600.00
18. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी	313.44	...	313.44	550.00	...	550.00	400.00	...	400.00	800.00	...	800.00
19. प्रतिमान	...	...	...	1800.00	...	1800.00	398.00	...	398.00	...	...	...
20. प्रधान मंत्रीय राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4000.00	...	4000.00
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
21. अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
21.01 पढ़ना लिखना अभियान	2.10	...	2.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.02 नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	...	...	...	127.00	...	127.00	100.00	...	100.00	...	...	...
जोड़- अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा	*2.10*	*...*	*2.10*	*127.00*	*...*	*127.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*...*	*...*	*...*
22. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	157.00	...	157.00
23. एस्पायर (परिणामों में सुधार हेतु राज्य शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाना)	...	...	...	600.00	...	600.00	0.01	...	0.01	...	...	...
24. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) में अंतरण	31788.25	...	31788.25	38000.00	...	38000.00	38000.00	...	38000.00	30000.00	...	30000.00
25. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-31788.25	...	-31788.25	-38000.00	...	-38000.00	-38000.00	...	-38000.00	-30000.00	...	-30000.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**35607.41**	**...**	**35607.41**	**50694.11**	**...**	**50694.11**	**45849.67**	**...**	**45849.67**	**54010.47**	**...**	**54010.47**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
26. वास्तविक वसूली	-1.78	...	-1.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***46821.51***	***...***	***46821.51***	***63449.37***	***...***	***63449.37***	***59052.78***	***...***	***59052.78***	***68804.30***	***0.55***	***68804.85***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	11673.35	...	11673.35	17735.95	...	17735.95	13497.89	...	13497.89	15012.58	...	15012.58

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	28.17	...	28.17	35.00	...	35.00	37.00	...	37.00	35.46	...	35.46
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.55	0.55
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**11701.52**	**...**	**11701.52**	**17770.95**	**...**	**17770.95**	**13534.89**	**...**	**13534.89**	**15048.04**	**0.55**	**15048.59**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5895.37	...	5895.37	5628.28	...	5628.28	6510.88	...	6510.88
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	33916.16	...	33916.16	37929.50	...	37929.50	38430.76	...	38430.76	45234.07	...	45234.07
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1203.83	...	1203.83	1853.55	...	1853.55	1458.85	...	1458.85	2011.31	...	2011.31
जोड़-अन्य	**35119.99**	**...**	**35119.99**	**45678.42**	**...**	**45678.42**	**45517.89**	**...**	**45517.89**	**53756.26**	**...**	**53756.26**
कुल जोड़	**46821.51**	**...**	**46821.51**	**63449.37**	**...**	**63449.37**	**59052.78**	**...**	**59052.78**	**68804.30**	**0.55**	**68804.85**

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता आ रहा है। इस निदेशालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

3. **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक , मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।

4. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध/ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों द्वारा चुनिंदा प्रतिभावान छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पहल है।

5. **राष्ट्रीय अर्थोपाय सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सह-मैरिट छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रति माह) एक लाख छात्रवृत्ति कक्षा IX के स्तर से शुरू होकर कक्षा XII तक की पात्रता के आधार पर प्रदान किए जाने के लिए वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। जिससे उनका कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने को रोका जा सके और उनको उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कार्पस क्रमशः संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में 250 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए रखा गया है।

6. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, स्थापित, नियंत्रित और प्रबंधित केंद्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कार्पस वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान में क्रमशः 2500 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए रखा गया है।

7. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) -1986 के अनुसरण में (1992 में यथा संशोधित) आवासीय स्कूलों की स्थापना पर जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में देश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) की स्थापना की गई थी। ये जेएनवी एक स्वायत्त संगठनों, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा चलाए जाते हैं, 1986 में स्थापित ये नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। एनवीएस की योजना में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का कार्पस संशोधित अनुमान 2023 और बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 3350 करोड़ रुपए और 1750 करोड़ रुपए रखा गया है।

8. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

9. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए):** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सीटीएसए का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

10. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

15. **समग्र शिक्षा:** पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सुदृढ़ीकरण योजनाओं को समग्र शिक्षा योजना में विलय कर दिया गया है। विलय का आशय स्कूली शिक्षा को सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान करना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2022-23 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 26000 करोड़ और रु. 4000 करोड़ है । बजट अनुमान 2023-24 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 20000 करोड़ और रु. 3000 करोड़ है ।

16. **राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** स्कूलों के बच्चों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना देने के साथ-साथ उनमें पोषणगत स्तरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया था । 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देशभर के सभी क्षेत्रों में कक्षा I से VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों को कवर करता है।

17. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में , प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) के संशोधित अनुमान में कार्पस का प्रावधान 12000 करोड़ रु है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) के कार्पस का प्रावधान रु 10000 करोड़ है।

18. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी:** राज्यों के लिए शिक्षण – ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

19. **प्रतिमान:** इस स्कीम का उद्देश्य है उत्कृष्टता के 15000 से अधिक स्कूल तैयार करना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे और समय के साथ उदाहरण और उत्कृष्टता के स्कूलों के रूप में उभरेंगे। वे एनईपी 2020 के विजन के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे और विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएंगे।

20. **प्रधान मंत्रीय राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना पूर्व में एग्जमप्लार के नाम से जानी जाती थी। जिसका उद्देश्य 15000 से ज्यादा स्कूल तैयार करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को उन्नत बनाने में मदद करती है और लम्बे समय से आदर्श और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे अपने क्षेत्रों में समान उच्च क्षेणी शिक्षा प्रदान कर नेतृत्व. समेकित और हर्षमय स्कूली वातावरण जिसमें विविध पृष्ठभूमि बहुभाषी आवश्यकताओं, बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में तैयार किया जाता है।

21.01. **पढ़ना लिखना अभियान:** साक्षर भारत की योजना को पढ़ना लिखना अभियान के रूप में संशोधित किया गया था , जिसके तहत वयस्क शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाना है।

22. **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा' पर सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)' वयस्क शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।